

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2023 दि0 लखनऊ: 13 दिसम्बर, 2023

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 1519/2023 दिनांक 30-11-2023 के द्वारा निम्नांकित जनपद-लखनऊ में युगलपीठ का गठन दिनांक 08-01-2024 से 11-01-2024 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ को, जनपद-वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 15-01-2024 से 18-01-2024 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी को एवं जनपद-गाजियाबाद में युगलपीठ का गठन दिनांक 29-01-2024 से 31-01-2024 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद को नामित किया गया था। जनपद-फैजाबाद में गठित युगल पीठ दिनांक 29-01-2024 से 31-01-2024 के स्थान पर दिनांक 29-01-2024 एवं 30-01-2024 के लिए गठित की जाती है।

अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 1519/2023 दिनांक 30-11-2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद-गाजियाबाद में गठित युगलपीठ दिनांक 29-01-2024 से 31-01-2024 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है तथा पीठ गठन निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	पीठ-लखनऊ	पीठ-1, 2, व 3 लखनऊ	08-01-2024 से 11-01-2024	सदस्य पीठ-1, लखनऊ सदस्य पीठ-2, लखनऊ	न्यायिक विभागीय
2	पीठ-गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	08-01-2024 से 11-01-2024	अध्यक्ष वा0कर अधिकरण, लखनऊ सदस्य पीठ-2, गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	15-01-2024 से 18-01-2024	सदस्य पीठ-गोरखपुर सदस्य पीठ-5, वाराणसी	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-फैजाबाद	पीठ- फैजाबाद	29-01-2024 व 30-01-2024	सदस्य पीठ-1, लखनऊ सदस्य पीठ-फैजाबाद	न्यायिक विभागीय

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग सं0 528 दिनांक 04 दिसम्बर 2023 द्वारा अवकाश कलेण्डर वर्ष 2024 के लिए जारी विज्ञापित के आलोक में सार्वजनिक अवकाशों की सूची में दिनांक 25-01-2024 को मो0 हजरत अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतः उक्त तिथि को यथास्थान जैसे नोएडा, कानपुर एवं लखनऊ में गठित युगलपीठें स्वतः निरस्त समझी जायें।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-13-12-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/1587/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 व 3, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2, गाजियाबाद/पीठ-1 व 2 नोएडा/पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी।
- 4- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-गोरखपुर।
- 5- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/नाजिर, मुख्यालय।
- 6- वेब-अधिकारी, मुख्यालय।
- 7- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।